# निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 7600 / बा0वि0परि0 / स्था03 / 2017–18 दिनांक 04-01-2018 ~~दिसम्बर, 2017~~

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /
प्रभारी जितला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

**विषय :— समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2017 से 29 फरवरी, 2018 तक बनाये रखने के सम्बन्ध में।**

समन्वित बाल विकास के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2017 से 29 फरवरी, 2018 तक बनाये रखने विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2837 / 60–2–17–2 / 1(39) / 96 टी0सी0 दिनांक–13.12.2017 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि ।

4-1-18
( शत्रुघ्न सिंह )
अपर निदेशक(प्रशासन)

137/11

संख्या–2827/60–2–17–2/1(39)/96 टीसी

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1929
14-12-2017

13-12-17

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक ~~नवम्बर~~, 2017

विषयः– **समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक बनाये रखने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1518/बा0वि0परि0/स्था0–3/2016–17, दिनांक 22.02.17 एवं संख्या–1753/बा0वि0परि0/स्था0/2017–18, दिनांक 25.10.17 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अधीन सृजित विभिन्न अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.18 तक बनाये रखने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों की निरन्तरता पूर्व में शासनादेश संख्या–3257/60–2–16–2/1(39)/96, दिनांक 17.10.2016 द्वारा 01 मार्च, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त के कम में श्री राज्यपाल महोदय समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों का कार्यकाल जिनका उल्लेख संलग्नक में किया गया है, दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2018 तक, बशर्ते इन पदों को बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि जो पद निरन्तर तीन वर्ष से रिक्त चल रहे हैं, उन पर तैनाती शासन से पूर्वानुमोदन प्राप्त करके ही की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त विधिवत सृजित किये गये पदों पर नियमानुसार कार्मिकों की तैनाती की गयी है तथा सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों के वेतन–भत्तों आदि के लिए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित धनराशि निरन्तर प्राप्त हो रही है।

3. उपर्युक्त पदों पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान–49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण–आयोजनागत–102–बाल कल्याण–01–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं के उपशीर्षकों से वहन किया जायेगा:–

102–समन्वित बाल विकास योजना
103–बाल विकास व पुष्टाहार निदेशालय
104–समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था
105–समन्वित बाल विकास हेतु सचिवालय स्तरीय कोष्ठक

उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

1248/ADM
8/12/17

संलग्नक–यथोपरि।

AD(F)/AD(R)

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
अनुसचिव

C:\Documents and Settings\sp2\Desktop\SECTION-2-1

13.12.1

संख्या–2837(1)/60–2–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनुसचिव

C:\Documents and Settings\up2\Desktop\SECTION-2-S- 2017\gal\GO- 2017.doc